मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग व्यवसायिक प्रतिभा परीक्षा पुरुष्कार योजना

प्रस्तावना एवं उद्देश्य
प्रदेश में निवासरत पिछड़े वर्ग के अयार्थियों को जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित तकनीकी एवं व्यवसायिक विषयों की प्रवेश परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर्ता प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किया जाना जिससे उनकों आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकें एवं अन्य विद्यार्थी प्रोत्साहित हो। इस पुरस्कार के विनियम एवं प्रक्रिञ्या निर्धारण हेतु निम्नलिखित नियम बनाये जाते हैं।
नाम एवं व्यक्ति : ये नियम 'म.प्र. में पिछड़ा वर्ग के व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा पुरस्कार नियम 2010 कहलायेगें।' ये नियम संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में शासन द्वारा निर्दिष्ट दिनांक से प्रभावशील होगें।
(अ) 'पिछड़ा वर्ग' से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिये घोषित पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची से है।
(ब) 'मध्यप्रदेश के निवासियों' से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन द्वारा मूल निवासियों को पात्रता हेतु निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने वाले व्यक्ति से है।
(स) 'चयन समिति' से अभिप्राय, इन नियम 4 अनुसार गठित चयन समिति से है।

पुरस्कारों का स्वरूप
मध्यप्रदेश में पिछड़े वर्ग के अयार्थियों को मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित तकनीकी व्यवसाय पुरस्कार प्रथम रुपये एक लाख द्वितीय रुपये 50,000/- एवं तृतीय रुपये 25,000/- प्रति अयार्थी को नगद रूप में दिया जावेगा पुरस्कार मध्यप्रदेश राज्य के निवासी तथा व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित तकनीकी एवं व्यवसायिक विषयों की प्रवेश परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पिछड़े वर्ग के विद्यिार्थियों को 'चयन समिति' द्वारा चयन के आधार पर दिया जावेगा।

चयन समिति
राज्य शासन द्वारा व्यवसायिक एवं तकनीकी विषयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञौ जिसमें प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अध्यक्ष तथा आयुक्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण-सदस्य सचिव तथा आयुक्त तकनीकी शिक्षा-सदस्य/संचालक चिकित्सा शिक्षा-सदस्य एवं संचालक मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल सदस्य रहेंगे।

समिति की शक्तियाँ
1. चयन समिति प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिय उत्तीर्ण अयार्थियों की सूची मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल भोपाल से प्राप्त करेगा।
2. समिति द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं शासन के लिये बंधनकारी होगा।
3. पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपील एवं अपील स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. समिति संबंधित पुरस्कार वर्ष के लिये मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल भोपाल से प्राप्त सूची में उल्लेखित नामों पर विचार करेगी।
5. सामान्यतः, प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिये प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट, प्री-पोलिटे ञ नीक टेस्ट, मास्टर ऑफ कप्यूटर एप्लीकेशन, प्री-एग्रीकल्चर टेस्ट, प्री-मेडिकल टेस्ट एवं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन/कामन एडमिशन टेस्ट की आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी के नाम पर विचार करेगी तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अयार्थी को पुरस्कार प्रदान किया जावेगा।

चयन प्रक्रिया
पुरस्कारों के लिये उपयुक्त पाये गये अयार्थियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी।

1. जिस वर्ष के लिये पुरस्कार प्रदाय किया जाना है उस वर्ष के लिये मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित तकनीकी एवं व्यवसायिक विषयों की प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट, प्री-पोलिटे ्नीक टेस्ट, मास्टर ऑफ कप्यूटर एप्लीकेशन, प्री-एग्रीकल्चर टेस्ट, प्री-मेडिकल टेस्ट की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अयार्थियों की सूची आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल से प्राप्त की जावेगी।
2. मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उपलध कराई गई अयार्थियों की सूची में से नियम 6 के उपनियम में उल्लेखित पाठ्यक्रमो में प्रत्येक पाठ्यक्रम से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अर्थात् सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले पिछड़ा वर्ग के अयार्थियों का चयन किया जावेगा।
3. मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल से प्राप्त सूची को संबंधित पुरस्कार वर्ष की पंजी में निनांकित प्रपत्र में पंजीकृत किया जावेगा।

4. पंजीयन के पश्चात् आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा प्रत्येक प्रविष्ट के संबंध में चयन समिति की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार कर राज्य शासन को प्रस्तुत करेगें।

चयन के मापदंड
पुरस्कारों के लिए चयन हेतु निन मापदंड रहेगें
1. पुरस्कारों के लिये गठित चयन समिति द्वारा ऐसे पिछड़ा वर्ग के अयार्थियों का चयन किया जावेगा जो मध्यप्रदेश राज्य का निवासी हो।
2. व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट, प्री-प्रोलिटे ्नीक टेस्ट, मास्टर ऑफ कप्यूटर एप्लीकेशन, प्री- एग्रीकल्चर टेस्ट, प्री मेडिकलटेस्ट एवं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन/ कामन एडमिशन टेस्ट की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्तकार्ता प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय का चयन पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम में तीन अयार्थियों के मान से चयन करेंगी।

पुरस्कारों की घोषण करना
चयन समिति द्वारा जिन अयार्थियों का चयन किया जावेगा उनके बारे में शासन द्वारा प्रशासकीय स्वीकृती प्रदान की जावेगी तथा उसके पश्चात पुरस्कार की घोषणा तथा वितरण किया जावेगा।

व्यय की संपूर्ति एवं वित्तीय शक्तिया
मध्यप्रदेश में पिछड़े वर्ग के अयार्थियों को व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित तकनीकी व्यवसायिक पुरस्कार वितरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति राज्य शासन के बजट प्रावधान से किया जावेगा एवं व्यय के पूर्ण अधिकार आयुक्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मध्यप्रदेश के होगें।

नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन
राज्य शासन (पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) को इन नियमों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन/संशोधन करने का अधिकार होगा। इन नियमों में अंतनिर्मित प्रावधानों के संबंध में प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की व्यवस्था अधिकृत और अंतर्गत मानी जावेगी। ऐसे मामले जिनका नियमों में उलल्ेख नहीं है, के निराकरण के अधिकार भी प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को होगें।

पुरस्कारो से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव

आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मध्यप्रदेश प्रति वर्ष से संबंधित प्रविष्टियों, चयनित अयार्थियों के अभिलेख, एवं अन्य अभिलेख प्रतिवर्ष के लिये अलग-अलग संधारित करेगें।